न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/11/2022	2022/46	01.06.2022	25.03.2026

1. दौलतराम पुत्र गिरवर जाति मीना निवासी रोनीजाथान तहसील कठूमर जिला अलवर।
2. बन्तूराम पुत्र लीलाराम जाति मीना निवासी रोनीजाथान तहसील कठूमर जिला अलवर।
3. नरेन्द्र पुत्र लीलाराम जाति मीना निवासी रोनीजाथान तहसील कठूमर जिला अलवर।

—अपीलाण्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार (भू0अ0) कठूमर, जिला अलवर, राजस्थान।
2. उप जिला मजिस्ट्रेट कठूमर, जिला अलवर राज0।
3. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कठूमर जरिये प्रधानाचार्य।

—रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरुद्ध नामा0 सं0 1879 निर्णय दिनांक 05.03.2021 नायब तहसीलदार भनोखर (कठूमर), जिला अलवर राज0।

उपस्थितः—
01—श्री उमाशंकर खण्डेलवाल —वकील अपी0
02—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पो0

—:निर्णय:—

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील विरूद्ध उप तहसीलदार भनोखर (कठूमर) के निर्णय दिनांक 05.03.2021 नामान्तकरण संख्या 1879 स्वीकार किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट तहत अदालत में पक्षकार नही था तहत अदालत ने मिन अपीलान्ट के बाला बाला गलत तरीक पर उक्त आदेश दिनांक 10.03.2021 फरमाया है जिसका इल्म मिन अपीलान्ट को तारीख 06.05.2022 को हुआ इल्म होने पर मिन अपीलान्ट ने तहत अदालत से उक्त इंतकाल की नकल प्राप्त करने के लिए उसी दिन तहत अदालत में प्रार्थना पत्र पेश किया जो नकल फैसला दिनांक 06.05.2022 को मिली। नकल इंतकाल मिलने पर वकील साहेबान से सलाह व मश्वरा लियां जिन्हाने अपील दायर करने की हिदायत दी। मिन अपीलाण्ट ने गांव में जाकर रूपयों पैसों का इंतजाम किया जिसमें समय लग गया इसलिए बिला देरी के अपील पेश की जा रही है। उक्त देरी के बाबत प्रार्थना पत्र जेर दफा 5 कानून मियाद मय शपथपत्र अलग से पेश है। मिन अपीलाण्ट ने अपील दायर करने में दीदोदानिस्ता देरी नहीं की है त उक्त देरी काबिल माफी है।

मिन अपीलाण्ट उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं थे व तहत अदालत के निर्णय (इंतकाल) से मिन अपीलाण्ट के हकूक खातेदारी जायल होते है जिससे मिन अपीलाण्ट को तहत अदालत के हुक्म के खिलाफ अपील दायर करने की इजाजत दी जावे। जिस बाबत प्रार्थना पत्र जेर दफा 96 जा० दी० अलहेदा से पेश हैं। तजबीज न्यायालय नायब तहसीलदार भनोखर, कठूमर होने से अपील काबिल समाअत अदालत श्रीमान् है। तजबीज अदालत मातहत बेजा व खिलाफ मंसाय कानून व रूएदार मिसल महज कयासया है, जो काबिले मंसुखी है।

अति० जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

मिन अपीलान्ट ने एक वाद न्यायालय सिविल न्यायाधीश एंव न्यायिक मजिस्ट्रेट कठूमर के यहां इस अमर का पेश किया कि हाल आराजी खसरा नंबर 1657/2.44 है० किस्म सिवायचक ग्राम रोनीजाथान तहसील कठूमर अलवर में स्थित हैं जिस आराजी पर वादी जमाने बुजुर्गान अर्सा करीब 30 वर्षो से काबिज होकर अपने उपयोग उपभोग में लेता चला आ रहा हैं वर्ष 2004 में तत्कालीन पटवारी हल्का रोनीजाथान द्वारा एक रिपोर्ट अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम रैस्पाडेन्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिस रिपोर्ट के आधार पर रैस्पाडेन्ट द्वारा वादी नंबर 1 दौलतराम व वादी नंबर 3 नरेन्द्र के विरूद्ध प्रकरण संख्या 239/2004 बअनुवानी सरकार बनाम दौलतराम व प्रकरण संख्या 240/2004 सरकार बनाम नरेन्द्र दर्ज करते हुए धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की उपधारा 3 के तहत नोटिस जारी किये गये। जिस पर वादी नंबर 1 दौलतराम व वादी नंबर 3 नरेन्द्र प्रतिवादी की न्यायालय में उपस्थित हुए और स्वंय की ओर से जवाब प्रस्तुत करते हुए पुराने कब्जे के आधार पर तथा खसरा नंबर परिवर्तनशील की रिपोर्ट स्वंय के पक्ष में होना जाहिर करते हुए उक्त भूमि का नियमन चाहा गया।

वादी नंबर 1 दौलतराम व वादी नंबर 3 नरेन्द्र की प्रार्थना पर प्रतिवादी द्वारा दिनांक 03.12.2004 को उक्त दर्ज प्रकरणो में अपना निर्णय पारित करते हुए प्रकरण संख्या 239/2004 बअनुवानी सरकार बनाम दौलतराम में खसरा नंबर 1657/2.44 है0 भूमि में से 4 बीघा 17 बिस्वा भूमि व प्रकरण संख्या 240 सन् 2004 बअनुवानी सरकार बनाम नरेन्द्र में खसरा नंबर 1657/2.44 है0 भूमि में से 4 बीघा 13 बिस्वा भूमि के संबंध में पत्रावली को आवंटन/नियमन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतू श्रीमान उप जिला कलेक्टर महोदय कठूमर (अलवर) को प्रेषित की गई। जो पत्रावली वर्तमान में विचाराधीन है। अर्थात् उक्त आराजी पर वादीगण के कब्जे को नियमन बाबत प्रतिवादी द्वारा दिनांक 03.12.2004 को अपना निर्णय पारित किया जा चुका है।

अपीलान्ट ने दावें के साथ हुक्मइम्तनाई का प्रार्थना पत्र भी पेश किया था जो न्यायालय सिविल न्यायाधीश एंव न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब कठूमर ने दिनांक 07.07.2020 को हुक्म इम्तनाई प्रार्थना पत्र खारिज फरमा दिया था। जिस आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट ने अपर जिला न्यायाधीश महोदय लक्ष्मणगढ (अलवर) के यहां अपील दायर की जो अपर जिला न्यायाधीश महोदय लक्ष्मणगढ ने दिनांक 09.12.2021 को अपीलान्ट की अपील मन्जूर करते हुए अपीलान्ट का कब्जा मानते हुए आदेश पारित किया कि रैस्पाडेन्ट को मूल वाद के निस्तारण तक पाबन्द किया जाता है कि वह आराजी खसरा नंबर 1657/2.44 है० किस्म सिवायचक ग्राम रोनीजाथाना तहसील कठूमर की मौके की स्थिति यथावत बनाये रखने एंव अपीलान्ट के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान न करे। लेकिन तहत अदालत ने इस बिन्दु पर कतई गौर नही किया।

न्यायालय के आदेश होने के बाद भी रैस्पाडेन्ट ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कठूमर अलवर नाम इन्तकाल खोल दिया जो कानून के खिलाफ है जो निरस्त होने योग्य है। जिसके लिए अपील अदालत श्रीमान के समक्ष पेश की जा रही है। मिन अपीलान्ट नरेन्द्र ने श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कठूमर के यहां अपील बअनुवान सरकार बनाम नरेन्द्र अपील नोटिस धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत आराजी मुतनाजा के बाबत पेश की जिसका निस्तारण तारीख 03.12.2004 को उपखण्ड अधिकारी कठूमर ने पक्षकारान की बहस समाअत फरमाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की व आराजी मुतनाजा खसरा नंबर 1657 मिन रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम रोनीजाथान में से 4 बीघा 13 बिस्वा मिन अपीलान्ट नरेन्द्र के हक में नियमन किया जाना उचित माना है। लेकिन तहत अदालत ने इस बिन्दु पर कतई गौर नही किया व गलत तरीक पर आराजी मुतनाजा का इंतकाल रैस्पाडेन्ट नंबर 3 के पक्ष में दर्ज व स्वीकार किया है जो काबिल गौर श्रीमान है।

अति. जिला कलेक्टर (प्रशा.)
अलवर (राज.)

रैस्पाडेन्ट नंबर 3 का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं हैं। कब्जा विवादित आराजी पर हम अपीलाण्ट का चला आ रहा है। कब्जा बाबत कोई जांच तहत अदालत ने नहीं की गई हैं। कब्जे के अभाव में इन्तकाल दर्ज नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट मंजूर फरमायी जाकर उक्त इंतकाल संख्या 1879 वाके ग्राम रोनिजाथाना तहसील कठूमर जिला अलवर मंसुख फरमाया जावे।

रेस्पो0 की ओर से पैरोकार सरकार विद्वान राजकीय अभिभाषक द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अपीलाण्टस ने अपील गलत तथ्यों के आधार पर सही तथ्यों को छुपाकर अदालत श्रीमान में पेश की है। इन्तकाल संख्या 1879 दिनांक 05.03. 2021 बावत आराजी खसरा नम्बर 1676/1642 रकवा 0.93 है0., खसरा नम्बर 1678/1157 रकवा 1.70 हे. किता 2 रकवा 2.93 हे. वाके ग्राम रोनीजाथान तहसील कठूमर वावत आदेश दिनांक 10.03.2021 की अपीलाण्टस को प्रारम्भ से ही पूर्ण जानकारी थी। अपीलाण्टस ने मियाद बाहर अपील पेश की है। अपीलाण्टस सरकारी सिवायचक भूमि को जबरदस्ती से हडपना चाहता है। उक्त भूमि सरकार की सिवायचक भूमि है। जो ग्राम क्षेत्र के विकास हेतु सरकार द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) कठूमर को आवण्टन की हुई है। उक्त सिवायचक भूमि पर दिनांक 09.09.2020 को अपीलाण्टस द्वारा अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय उप तहसीलदार भनोखर द्वारा लैण्ड रेवप्यु एक्ट की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर प्रकरण संख्या 19/2020 दौलत पुत्र गिरवर, बत्तू पुत्र लीलाधर कौम मीना निवासी रोनीजाथान के विरूद्ध अतिक्रमण खसरा नम्बर 1642 रकवा 1.64 हे. 1657 रकवा 2.44 हे. वाके ग्राम रोनीजाथान के विरूद्ध जारी किये गये। अतिकमी को सुनकर एल आर एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत न्यायालय उप तहसीलदार भनोखर द्वारा विधि पूर्वक दिनांक 25.09.2020 पश्चातवर्ती अतिकमी घोषित किया जाकर प्रकरण का निस्तारण करते हुये अतिक्रमित रकवा से अपीलाण्टस को वेदखल करने के आदेश पारित किये गये है। जिसकी पालना में दिनांक 08.10.2010 को पटवारी हल्का रोनीजाथान द्वारा मौके पर से अपीलाण्टस को वेदखल किया गया। जिसकी घटना बही संलग्न की जा रही है।

अतिकमी को बेदखल कर कब्जा राज लेकर उक्त आराजी खसरा नम्बर 1642 रकवा 1.60 हे0 में से 1676/1642 रकवा 0.93 हे. व खसरा नम्बर 1657 रकवा 2.44 हे. में से 1678/1657 रकवा 1.70 हे. किता 2 रकवा 2.63 हे. भूमि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कठूमर के लिये दिनांक 29.12.2020 को आवण्टित कर दी गई थी। वाद आवण्टन की लीज डीड पंजीकृत होने पर इन्तकाल संख्या 1879 दिनांक 05.03.2021 से आई टी आई कठूमर के नाम दर्ज हुआ है। परन्तु अतिकमी बलराम पुत्र दौलत मीना निवासी रोनीजाथान ने रवि की फसल में खसरा नम्बर 1642 रकवा 1.64 हे. में फसल वो कर अतिक्रमण किया जिस पर पटवारी हल्का ने इसके विरूद्ध रिपोर्ट न्यायालय उप तहसीलदार भनोखर को एल आर एक्ट की धारा 91 की पेश की। जिसका प्रकरण संख्या 72/2020 दर्ज किया जिसमें अतिकमी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अतिकमी बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आया जिसके विरूद्ध दिनांक 01.12.2020 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। जिस पर नायव तहसीलदार भनोखर द्वारा प्रकरण का विधि मुताविक निस्तारण करते हुये अतिकमी को सरकारी भूमि से वेदखल किया गया। जिसकी पालना में दिनांक 09.02.2021 को पटवारी हल्का रोनीजाथान ने अतिकमी को मौके भौतिक रूप से वेदखल किया गया। इसी प्रकार खसरा नम्बर 1657 रकवा 2.44 हे. वाके ग्राम रोनीजाथान तहसील कठूमर पर बत्तू पुत्र लीला व दौलत पुत्र गिरवर मीना निवासी रोनीजाथान ने रवि फसल में अतिक्रमण किया जिसकी प०ह० द्वारा नियमानुसार धारा 91 एल आर एक्ट के तहत रिपोर्ट की गई जिसकी न्यायालय उप तहसीलदार भनोखर में प्रकरण संख्या 74/2020 दर्ज किया गया जिसमें अतिक्रमी को

आ. [illegible] (राज0)

दिनांक 01.12.2020 को जरिये नोटिस तलव किया गया लेकिन अतिकमी बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आया। जिस पर नायव तहसीलदार भनोखर द्वारा प्रकरण का दिनांक 18.12.2020 को निस्तारण करते हुये अतिकमी को वेदखल करने का आदेश सुनाया। जिसकी पालना में प.ह. ने दिनांक 09.02.2022 को अतिकमी को भौतिक रूप से सरकारी सिवायचक जमीन से वेदखल किया गया। घटना बही की नकल संलग्न है।

उक्त भूमि को कब्जे राज लेकर उक्त आवण्टित भूमि की लीज डीड दिनांक 22.02.2021 को पंजीकृत क्रमांक 202103360100037 पर पंजीबद्व होने के के पश्चात् इन्तकाल संख्या 1879 दिनांक 05.03.2021 आवण्टन का दर्ज हुआ जो दिनांक 10.03.2021 को नियमानुसार स्वीकार हुआ है। जिससे आवंटित भूमि खसरा नम्बर 1676/1642 रकवा 0.93 हे. व 1678/1657 किता 2 रकवा 2.63 हे. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कठूमर के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत् 2076 से 79 के खाता संख्या 436 पर दर्ज रेकार्ड है। इसके पश्चात् दिनांक 08.09.2021 को उक्त भूमि का सीमांकन कराकर ग्राम विकास अधिकारी रोनीजाथान द्वारा उपलब्ध संस्थान जे सी वी द्वारा उक्त आविण्टत भूमि के चारों तरफ खाडी खुदवाकर राजकीय औद्योगिक प्र०सं० कठूमर (आई.टी.आई) को आई टी आई लक्ष्मणगढ के प्रतिनिधि श्री यादराम मीना (कनिष्ट अनुदेशक) को भौतिक रूप से सुपुर्दनामा दिनांक 08.09.2021 को उपस्थित उपखण्ड अधिकारी कठूमर व तहसीलदार कठूमर एंव राजस्व कर्मचारी तथा विकास अधिकारी कठूमर व ग्रामवासियान की उपस्थिति में आवण्टित भूमि सुपुर्द की गई। जिसकी सुपुर्दनामा की प्रतियां संलग्न की जा रही है।

अपीलाण्ट ने इन्तकाल संख्या 1879 को खारिज करने की अपील अदालत हाजा में पेश की है। अपीलाण्ट को उक्त आदेश की पूर्व से ही जानकारी थी लेकिन अपीलाण्ट ने जानबूझ कर मियाद से वाहर अपील पेश की है जिस अपील को देरी से पेश करने का भी अपीलाण्टस ने कोई समुचित कारण नहीं बताया है। इस वजह से अपील अपीलाण्टस मियाद के विन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है। उक्त भूमि सरकारी सिवायचक है जिस भूमि पर अपीलाण्टस को किसी तरह के हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते। उक्त भूमि पर अपीलाण्टस का कब्जा नहीं है बल्कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कठूमर (आई.टी.आई लक्ष्मणगढ़) के प्रतिनिधि श्री यादराम मीना कनिष्ट अनुदेशक का कब्जा है। माननीय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश महोदय कठूमर ने मौके की यथास्थिति बनाये रखने बावत आदेश पारित किये है, इस वजह से कब्जा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का यथावत बना हुआ है। उक्त सरकारी सिवायचक भूमि पर अपीलाण्टस ने अतिक्रमण कर लिया था जिन अपीलाण्टस/अतिक्रमियों को नायब तहसीलदार भनोखर द्वारा नियमानुसार भौतिक रूप से बेदखल कर दिया गया है। अपीलाण्टस की अपील आधारहीन है जिसे खारिज किया जावे।

अतः लिखित वहस पेश कर निवेदन है कि अपीलाण्टस की अपील निराधार होने की वजह से खारिज किये जाने की कृपा करें।

सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.03.2021 के विरूद्व दिनांक 22.05.2025 को पेश की गयी है जो करीब 1 साल 22 दिन के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रुख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं/राजकीय अभिभाषक की लिखित एवं मौखिक बहसों पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया। प्रश्नगत विवादित आराजी खसरा नम्बर 1642 व 1657 वाके ग्राम रोनीजाथान राजस्व रिकॉर्ड में मूल रूप से 'सिवायचक' (राजकीय भूमि) के रूप में दर्ज है। अपीलान्ट्स का

अति. जिला कलक्टर (प्रथम)
अजमेर (राज0)

मुख्य कथन यह है कि वे उक्त भूमि पर लम्बे समय से काबिज हैं और सक्षम न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, लक्ष्मणगढ़ द्वारा दिनांक 09.12.2021 को मौके की स्थिति यथावत बनाये रखने का आदेश पारित किया गया है, जिसके चलते आई.टी.आई. के नाम नामान्तरकरण खोलना अनुचित है। इसके विपरीत, रेस्पोन्डेन्ट का कथन है कि अपीलान्ट्स को उक्त सिवायचक भूमि से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत विधिवत नोटिस देकर प्रकरण संख्या 19/2020, 72/2020 एवं 74/2020 में अतिक्रमी घोषित किया गया तथा राजस्व अधिकारियों द्वारा दिनांक 08.10.2020 व 09.02.2021 को मौके पर भौतिक रूप से बेदखली की कार्यवाही अमल में लाई गई जिसकी पुष्टि घटना बही से होती है। बेदखली के पश्चात् उक्त भूमि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI), कठूमर के लिए दिनांक 29.12.2020 को आवंटित की गई और विधिवत रूप से दिनांक 22.02.2021 को पंजीकृत लीज डीड क्रमांक 202103360100037 से निष्पादित की गई। दिनांक 08.09.2021 को उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं ग्रामवासियों की उपस्थिति में सीमांकन कर भौतिक कब्जा जे.सी.बी. से खाई खुदवाकर आई.टी.आई. कठूमर के प्रतिनिधि को सुपुर्द किया गया। राजस्व विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुसार, नामान्तरकरण स्वत्व का निर्धारण नहीं करता है, बल्कि यह केवल राजस्व रिकॉर्ड को अद्यतन करने की एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। जब किसी राजकीय भूमि का आवंटन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी राजकीय संस्थान के पक्ष में कर दिया गया हो और उसका पंजीकृत लीज डीड निष्पादित हो चुकी हो, तो ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण दर्ज किया जाना एक विधिक एवं स्वाभाविक प्रक्रिया है। जहाँ तक अपीलान्ट्स द्वारा अपर जिला न्यायाधीश, लक्ष्मणगढ़ के आदेश दिनांक 09.12.2021 का उल्लेख किया गया है, वह आदेश 'मौके की स्थिति यथावत बनाये रखने' का है। दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि उक्त न्यायालय आदेश से पूर्व ही नामान्तरकरण संख्या 1879 दिनांक 05.03.2021 स्वीकृत दिनांक 10.03.2021 को दर्ज हो चुका था तथा भूमि का भौतिक कब्जा भी दिनांक 08.09.2021 को आई.टी.आई. को सौंपा जा चुका था। अतः पूर्व में ही आवंटित भूमि व पंजीकृत लीज डीड के आधार पर दर्ज किये गए नामान्तरकरण को उक्त स्थगन आदेश के विपरीत या गैर–कानूनी नहीं माना जा सकता।

अतः अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, भनोखर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.03.2021 स्वीकृत दिनांक 10.03.2021 नामान्तरकरण संख्या 1879 विधिक व तथ्यात्मक रूप से सही है। इसमें किसी प्रकार की न्यायिक त्रुटि या अनियमितता प्रतीत नहीं होती है, जिसमें इस अपीलीय न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित हो। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील आधारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उप–तहसीलदार भनोखर (कठूमर), जिला अलवर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1879 बाबत पारित आदेश दिनांक 05.03.2021 स्वीकृत दिनांक 10.03.2021 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)